द्रोपदी मुर्मू

द्रौपदी मुर्मू

भारत की 15वीं राष्ट्रपति

- भारत की पहली जनजातीय राष्ट्रपति
- प्रतिभा पाटिल के बाद दूसरी महिला राष्ट्रपति
- वह ओडिशा के मयूरभंज ज़िले से हैं और संथाल जनजाति (गोंड तथा भील के बाद भारत की तीसरी सबसे बड़ी जनजाति) से संबंधित हैं।

राष्ट्रपति कौन होता है?

- भारतीय गणराज्य का प्रमुख तथा भारत का प्रथम नागरिक।
  - **निर्वाचन:** संसद के दोनों सदनों के सांसदों और राज्य विधानसभाओं तथा दिल्ली एवं पुदुचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों से मिलकर बने एक निर्वाचक मंडल द्वारा। (लेकिन राज्यसभा, लोकसभा और विधानसभाओं के मनोनीत सदस्य तथा परिषदों के सदस्य निर्वाचन में भाग नहीं लेते हैं)
  - **संवैधानिक प्रावधान:** अनुच्छेद 54 - 62

राष्ट्रपति की शक्तियाँ:

- **विधायी शक्तियाँ:**
  - लोक सभा को विघटित करने की शक्ति
  - किसी विधेयक को पारित करने के लिये अंतिम सहमति देता है
  - जब संसद सत्र में न हो तो अध्यादेश जारी करने की शक्ति
  - संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाने की शक्ति
- **नियुक्ति संबंधी शक्तियाँ:**
  - प्रधानमंत्री, भारत के मुख्य न्यायाधीश और सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों, राज्य के राज्यपाल, अन्य देशों के राजदूतों, महान्यायवादी आदि की नियुक्ति करता है।
- **सैन्य शक्तियाँ:**
  - सभी भारतीय सेनाओं का प्रमुख होता है।
  - थल सेना, नौसेना और वायु सेना के प्रमुखों की नियुक्ति करता है।
  - प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद की सलाह पर किसी भी देश के साथ युद्ध की घोषणा करने या शांति स्थापित करने की शक्ति।
  - अन्य देशों के साथ संधियाँ उसके नाम पर हस्ताक्षरित की जाती हैं।
- **क्षमादान शक्ति (अनुच्छेद 72):**
  - उन मामलों में क्षमादान दे सकता है जिनमें सज़ा- केंद्रीय विधियों के विरुद्ध अपराध के लिये दी गई हो, सैन्य न्यायालय में दी गई हो या दंड का स्वरुप प्राण दंड हो।
- **आपातकालीन शक्तियाँ:**
  - अनुच्छेद 352, 356 और 360 के तहत तीन प्रकार की आपात स्थितियों की घोषणा कर सकते हैं: राष्ट्रीय, राज्य और वित्तीय आपातकाल के समय अलग-अलग राज्यों या पूरे देश पर शासन कर सकता है।

रोचक तथ्य

- राजेंद्र प्रसाद भारत के पहले राष्ट्रपति थे। वह लगातार दो कार्यकाल तक सेवा देने वाले एकमात्र राष्ट्रपति भी हैं।
- जाकिर हुसैन भारत के तीसरे राष्ट्रपति और पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे। वह भारत के सबसे कम समय तक (2 वर्ष से कम) सेवा देने वाले राष्ट्रपति थे।
- अब तक दो राष्ट्रपति, डॉ. जाकिर हुसैन और फखरुद्दीन अली अहमद (पाँचवें राष्ट्रपति) की अपने कार्यकाल के दौरान मृत्यु हो चुकी है।
- जब मई 1969 में राष्ट्रपति डॉ. जाकिर हुसैन की मृत्यु हुई, तो तत्कालीन उपराष्ट्रपति वी.वी. गिरि राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर रहे थे।
- इसके तुरंत बाद वी.वी. गिरि ने राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिये इस्तीफा दे दिया। तब भारत के मुख्य न्यायाधीश, एम. हिदायतुल्ला ने 20 जुलाई, 1969 से 24 अगस्त, 1969 तक कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया।

राष्ट्रपति से संबंधित महत्वपूर्ण अनुच्छेद:

- **अनुच्छेद 52:** भारत के राष्ट्रपति
- **अनुच्छेद 53:** संघ की कार्यकारी शक्तियाँ
- **अनुच्छेद 72:** राष्ट्रपति की क्षमादान इत्यादि की शक्ति तथा कतिपय मामलों में दंड का स्थगन, माफी अथवा कम कर देना
- **अनुच्छेद 74:** मंत्रिपरिषद का राष्ट्रपति को परामर्श एवं सहयोग प्रदान करना
- **अनुच्छेद 85:** संसद के सत्र, सत्रावसान तथा भंग करना
- **अनुच्छेद 111:** संसद द्वारा पारित विधेयकों पर सहमति प्रदान करना
- **अनुच्छेद 112:** संघीय बजट (वार्षिक वित्तीय वितरण)
- **अनुच्छेद 123:** राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति
- **अनुच्छेद 143:** राष्ट्रपति की सर्वोच्च न्यायालय से सलाह लेने की शक्ति

पूर्व राष्ट्रपति

डॉ. राजेन्द्र प्रसाद (1950-1962)

डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन (1962-1967)

डॉ. जाकिर हुसैन (1967-1969)

श्री वराहगिरि वेंकट गिरि (1969-1974)

डॉ. फखरुद्दीन अली अहमद (1974-1977)

श्री नीलम संजीव रेड्डी (1977-1982)

ज्ञानी जैल सिंह (1982-1987)

श्री आर. वेंकटरमण (1987-1992)

डॉ. शंकर दयाल शर्मा (1992-1997)

श्री के.आर. नारायणन (1997-2002)

डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम (2002-2007)

श्रीमती प्रतिभा देवीसिंह पाटिल (2007-2012)

श्री प्रणब मुखर्जी (2012-2017)

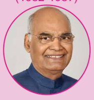
श्री रामनाथ कोविंद (2017-2022)

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/dropadi-murmu-1